संख्या-4033 ई0जी0/23-लो0नि0-5-135 ई0जी0/90
लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 1990

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) में भर्ती, और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा, की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990

भाग-एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 कही जायगी ;

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति — 2. उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट हैं ।

परिभाषायें — 3. विषय या संदर्भ में जब तक कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,- सेवा

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) "प्रमुख अभियंता" का तात्पर्य प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से है,

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

SD.

क्रमशः-2

किसी पद पर इन नियमावली, या इन नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(च) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) से है,

(छ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

क्रमशः-3

(2) जब तक कि उपनियम-(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है :-

		स्थायी	अस्थायी
एक-	अधिशासी अभियंता (सिविल)	284	69
दो-	अधिशासी अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)	33	07
तीन-	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	49	13
चार-	अधीक्षण अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)	06	-
पांच-	मुख्य अभियंता, स्तर-दो (सिविल)	04	10
छः -	मुख्य अभियंता, स्तर-दो (विद्युत और यांत्रिक)	-	01
सात-	मुख्य अभियंता, स्तर-एक (सिविल)	-	02
आठ-	प्रमुख अभियंता	01	-

परन्तु-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग- तीन

भर्ती

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी, अर्थात् :-

क्रमशः--

और यांत्रिक शाखाओं के ऐसे सहायक अभियंताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;

(दो) अधीक्षण अभियंता, सिविल, विद्युत और यांत्रिक :-

मौलिक रूप से नियुक्त क्रमशः सिविल, विद्युत और यांत्रिक शाखाओं के ऐसे अधिशासी अभियंताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को कम से कम पन्द्रह वर्ष की कुल सेवा पूरी कर ली हो, (जिसमें अधिशासी अभियंता के रूप में कम से कम छः वर्ष की सेवा भी सम्मिलित है), पदोन्नति द्वारा;

(तीन) मुख्य अभियंता, स्तर-दो- सिविल, विद्युत और यांत्रिक:-

मौलिक रूप से नियुक्त क्रमशः सिविल, विद्युत और यांत्रिक शाखाओं के अधीक्षण अभियंताओं में से, पदोन्नति द्वारा;

(चार) मुख्य अभियंता, स्तर-एक (सिविल) :-

मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियंता स्तर-दो (सिविल) में से, पदोन्नति द्वारा;

(पांच) प्रमुख अभियंता :-

मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियंता, स्तर-एक (सिविल) में से, पदोन्नति द्वारा।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

क्रमशः-5

भाग-चार

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 7. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया 8. (1) अधिशासी अभियंता सिविल, विद्युत और यांत्रिक के पद पर भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, और अधीक्षण अभियंता सिविल, विद्युत और यांत्रिक के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग,
(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग,
(तीन) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,
(चार) सिविल शाखा के पद के लिए प्रमुख अभियंता (सिविल), सिंचाई विभाग और विद्युत और यांत्रिक शाखा के पद के लिए प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग ।

ज्येष्ठ सचिव चयन समिति के अध्यक्ष होंगे

(2) मुख्य अभियंता स्तर-दो- सिविल, विद्युत और यांत्रिक मुख्य अभियंता स्तर-एक (सिविल) और प्रमुख अभियंता के पद पर भर्ती, श्रेष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार — अध्यक्ष
(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग,
(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग

30/10/00

के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(4) चयन समिति उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार करेगी ।

(5) चयन समिति चुने गये अभ्यर्थियों की एक सूची, उस ज्येष्ठता के क्रम में, तैयार करेगी जो उनकी उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगी ।

भाग- पांच

निुयुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम नियम-8 के उपनियम-(5) के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों ।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें उनके नाम उस ज्येष्ठता के क्रम में उल्लिखित किए जायेंगे जो उनकी उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी है ।

क्रमशः -7

10. (1) निम्न पदों पर किसी व्यक्ति को मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किए जाने पर-

(एक) अधिशासी अभियंता या अधीक्षण अभियंता को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा, और

(दो) मुख्य अभियंता, स्तर-दो, मुख्य अभियंता, स्तर-एक और प्रमुख अभियंता को छः मास की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायगी ।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(4) उप-नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

स्थायीकरण

11. कोई व्यक्ति परिवीक्षा अवधि के या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में अपनी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा, यदि

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

30/10

क्रमशः-8

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

12\. किसी भी श्रेणी के पदों में व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही रहेगी जो विभाग में सहायक अभियंता के उनके मौलिक पद पर अवधारित की गयी हो और पदोन्नति के पश्चात् प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए पृथक-पृथक ज्येष्ठता सूची तैयार नहीं की जायगी ।

भाग-छः

परिलब्धियाँ

13\. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिए गये हैं :-

पद का नाम	वेतनमान
(एक) अधिशासी अभियंता	3000-100-3500-125-4500 रुपये
(दो) अधीक्षण अभियंता साधारण श्रेणी	3700-125-4700-150-5000 रुपये
(तीन) अधीक्षण अभियंता चयन श्रेणी	4500-150-5700 रुपये
(चार) मुख्य अभियंता, स्तर-दो	5100-150-6150 रुपये

क्रमशः-9

(पांच) मुख्य अभियंता, स्तर-एक — 5900-200-67[illegible] रुपये

(छ:) प्रमुख अभियंता — 7300-100-7600 रुपये

परिवीक्षा अवधि में वेतन

14. फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा [illegible] न हो, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक व[illegible] की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूर[illegible] कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय, तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ।

भाग-सात

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

15. नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से उसकी अभ्यर्थिता के लिए प्र[illegible] या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति [illegible] लिए अनर्ह कर देगा ।

अन्य विषयों का विनियमन

16. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इस नियमावली या विशिष्ट आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

शर्तों में शिथिलता

17. जहां सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं से उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

व्यावृत्ति

18. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

Photocopy attested

आज्ञा से,

स्टाफ ऑफिसर
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो० नि० वि० देहरादून

एस०जी०हारन्गा
सचिव ।